विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 76

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियॉ और प्राप्तियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	2418.44	-309.57	2108.87	5929.63	-122.89	5806.74	2820.18	-132.46	2687.72	7337.95	431.07	7769.02
	पूंजी	***2206.95***	...	*2206.95*	*3712.37*	...	*3712.37*	*1887.82*	*3326.39*	*5214.21*	*2304.05*	...	*2304.05*
	जोड़	**4625.39**	**-309.57**	**4315.82**	**9642.00**	**-122.89**	**9519.11**	**4708.00**	**3193.93**	**7901.93**	**9642.00**	**431.07**	**10073.07**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	0.60	22.78	23.38	0.10	25.84	25.94	0.10	25.20	25.30	0.75	27.74	28.49
2. ब्याज माफी													
2.01 नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन	2801	...	...	...	...	...	...	...	90.21	90.21	...	...	...
2.02 घटाइए निवल प्राप्तियां	0049	...	-16.13	-16.13	...	...	...	...	-90.21	-90.21	...	...	...
2.03 नीफ्को की हानियों को बट्टे खाते डालना	2801	...	16.13	16.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- ब्याज माफी		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत													
सामान्य													
3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	3.32	67.62	70.94	18.08	78.80	96.88	5.53	72.59	78.12	35.70	78.26	113.96
	4801	0.38	...	0.38	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
	जोड़	*3.70*	*67.62*	*71.32*	*19.08*	*78.80*	*97.88*	*6.53*	*72.59*	*79.12*	*37.20*	*78.26*	*115.46*
4. अनुसंधान और विकास													
4.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू	2801	64.00	...	64.00	265.00	...	265.00	80.00	...	80.00	298.73	...	298.73
5. प्रशिक्षण													
5.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)	2801	2.09	6.40	8.49	5.09	6.40	11.49	5.09	5.76	10.85	11.00	6.40	17.40
6. मणिपुर आर मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	1.56	...	1.56	2.46	...	2.46	2.24	...	2.24	...	...	...
7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग													
7.01 सीईआरसी निधि	2801	...	31.48	31.48	...	34.79	34.79	...	32.28	32.28	...	36.20	36.20
7.02 सीईआरसी निधि से पूरी की गई राशि	2801	...	-31.48	-31.48	...	-34.79	-34.79	...	-32.28	-32.28	...	-36.20	-36.20
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ)													
8.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2801	2086.04	...	2086.04	4761.00	...	4761.00	3808.80	...	3808.80	...	...	...
8.02 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता हेतु एनआईएफ से पूरी हुई राशि - आरजीजीवीवाई	2801	-2086.04	...	-2086.04	-4761.00	...	-4761.00	-3808.80	...	-3808.80	...	...	...
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2801	2237.31	...	2237.31	4410.00	...	4410.00	2002.02	...	2002.02	4041.30	...	4041.30
10. मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्शी सेवा के लिए निधियां	2801	...	...	...	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00
11. विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण	2801	...	7.26	7.26	...	8.78	8.78	...	8.10	8.10	...	9.05	9.05
12. संध राज्य क्षेत्रों तथा गोवा हेतु संयुक्त जेईआरसी की स्थापना	2801	...	3.80	3.80	...	4.00	4.00	...	3.60	3.60	...	4.00	4.00
13. विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक पुरस्कार योजना	2801	0.69	...	0.69	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.99	...	0.99
14. ऊर्जा संरक्षण	2801	49.99	...	49.99	200.00	...	200.00	55.00	...	55.00	564.45	...	564.45
15. ऊर्जा क्षमता ब्यूरो													
15.01 ईएपी भिन्न घटक	2801	62.00	...	62.00	197.40	...	197.40	56.20	...	56.20	189.41	...	189.41
15.02 ईएपी घटक	2801	2.00	...	2.00	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	4.00	...	4.00
जोड़- ऊर्जा क्षमता ब्यूरो		*64.00*	...	*64.00*	*200.00*	...	*200.00*	*58.80*	...	*58.80*	*193.41*	...	*193.41*
16. एपीडीआरपी	2801	67.87	...	67.87	117.00	...	117.00	117.00	...	117.00	75.00	...	75.00
17. नियामक क्षमता निर्माण के फोरम को सहायता	2801	1.60	...	1.60	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
18. लाहोरी नागपाला एचईपी	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	536.30	536.30
19. डिस्कोम की ऋण पुनर्संरचना के लिए वित्त सहायता	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1500.00	...	1500.00
20. एपीडीआरपी के लिए पीएफसी को ऋण	6801	1600.00	...	1600.00	2685.60	...	2685.60	1071.60	...	1071.60	442.50	...	442.50
21. राष्ट्रीय बिजली निधि को ब्याज सब्सिडी	2801	...	...	...	72.00	...	72.00	...	...	...	151.92	...	151.92
22. टिहरी जल विकास निगम भारत लिमिटेड	4801	45.00	...	45.00	110.00	...	110.00	89.45	...	89.45	133.72	...	133.72
23. एनटीपीसी के लिए कोयला--धारित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4801	147.43	...	147.43	720.04	...	720.04	250.00	...	250.00	474.00	...	474.00
23.01 घटाएं वसूलियां	4801	-147.43	...	-147.43	-720.04	...	-720.04	-250.00	...	-250.00	-474.00	...	-474.00
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामान्य		**4137.81**	**85.08**	**4222.89**	**8091.13**	**97.98**	**8189.11**	**3491.13**	**90.05**	**3581.18**	**7455.22**	**634.01**	**8089.23**
ताप विद्युत उत्पादन													
24. बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन													
24.01 राजस्व व्यय	2801	...	3.38	3.38	...	9.95	9.95	...	8.95	8.95	...	9.95	9.95
24.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	0801	...	-420.81	-420.81	...	-256.66	-256.66	...	-256.66	-256.66	...	-240.63	-240.63
कुल		...	*-417.43*	*-417.43*	...	*-246.71*	*-246.71*	...	*-247.71*	*-247.71*	...	*-230.68*	*-230.68*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
पारेषण और वितरण													
25. श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन	4801	...	...	...	200.00	...	200.00	10.00	...	10.00	226.00	...	226.00
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान													
26.01 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2552	...	...	...	490.00	...	490.00	490.00	...	490.00	458.70	...	458.70
26.02 एपीडीआर के तहत पीएफसी को ऋण	6552	...	...	...	311.40	...	311.40	311.40	...	311.40	57.50	...	57.50
26.03 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यो में पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	145.00	...	145.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
26.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	...	...	...	54.00	...	54.00	54.00	...	54.00	398.34	...	398.34
26.05 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	6552	...	...	...	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	48.66	...	48.66
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*1080.40*	*...*	*1080.40*	*936.40*	*...*	*936.40*	*964.20*	*...*	*964.20*
जोड़-पारेषण और वितरण		**...**	**...**	**...**	**1280.40**	**...**	**1280.40**	**946.40**	**...**	**946.40**	**1190.20**	**...**	**1190.20**
जोड़-विद्युत		**4137.81**	**-332.35**	**3805.46**	**9371.53**	**-148.73**	**9222.80**	**4437.53**	**-157.66**	**4279.87**	**8645.42**	**403.33**	**9048.75**
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश													
27.01 नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. में निवेश	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.02 विद्युत परियोजनाओं हेतू ऋण	6801	398.44	...	398.44	270.37	...	270.37	270.37	...	270.37	995.83	...	995.83
27.03 नीपको के लिए ऋण	6801	163.13	...	163.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश		*561.57*	*...*	*561.57*	*270.37*	*...*	*270.37*	*270.37*	*...*	*270.37*	*995.83*	*...*	*995.83*
28. डेसू के पिछले बकाया के निपटान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सहायता	7602	...	...	...	...	...	...	...	3326.39	3326.39	...	...	...
29. वास्तविक वसूलियां	2801	-74.59	...	-74.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***4625.39***	***-309.57***	***4315.82***	***9642.00***	***-122.89***	***9519.11***	***4708.00***	***3193.93***	***7901.93***	***9642.00***	***431.07***	***10073.07***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
27.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	12801	...	15954.42	15954.42	...	20995.00	20995.00	...	20995.00	20995.00	...	20200.00	20200.00
27.02 राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लि.	12801	398.44	3147.10	3545.54	270.37	3826.63	4097.00	270.37	2697.46	2967.83	995.83	2453.76	3449.59

		विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
27.03	दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	12801	...	2826.53	2826.53	...	5571.69	5571.69	...	4180.29	4180.29	...	4080.82	4080.82
27.04	पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक)	12801	163.13	657.22	820.35	134.00	1137.79	1271.79	134.00	1046.36	1180.36	447.00	1542.61	1989.61
27.05	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	12801	...	552.32	552.32	...	796.00	796.00	...	796.00	796.00	...	964.08	964.08
27.06	टिहरी जल विकास निगम लि.	12801	45.00	506.89	551.89	110.00	455.39	565.39	89.45	272.90	362.35	133.72	446.14	579.86
27.07	भारतीय पावर ग्रिड निगम लि.	12801	...	17814.00	17814.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00
जोड़			**606.57**	**41458.48**	**42065.05**	**514.37**	**52782.50**	**53296.87**	**493.82**	**49988.01**	**50481.83**	**1576.55**	**49687.41**	**51263.96**
ग. योजना परिव्यय														
1.	विद्युत	12801	4625.39	41458.48	46083.87	8561.60	52782.50	61344.10	3771.60	49988.01	53759.61	8677.80	49687.41	58365.21
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	1080.40	...	1080.40	936.40	...	936.40	964.20	...	964.20
जोड़			**4625.39**	**41458.48**	**46083.87**	**9642.00**	**52782.50**	**62424.50**	**4708.00**	**49988.01**	**54696.01**	**9642.00**	**49687.41**	**59329.41**

1. **सचिवालय:** विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रावधान है।

3.. **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग के संबंध में विभिन्न ऐजेन्सियों की गतिविधियों को समन्वित करता है। यह सर्वेक्षण और अध्ययन कराने, विद्युत संसाधनों की उपयोगिता विकास, आवंटन तथा सृजन से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण तथा अभिलेख कराने हेतु भी उत्तरदायी है।

4. **अनुसंधान एवं विकास:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और अवयवों के सत्यापन के लिए भी कार्य करता है।

5. **प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

7. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग:** ईआरसी एक्ट 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन किया था। केन्द्रीय आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सांविधिक निकाय के रूप में है जो 10 जून, 2003 से प्रभावी हुआ है।

9. **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई):** ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण की यह स्कीम सभी ग्रामीण घरों को विद्युत पहुंच प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2005 में प्रारंभ की गई। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी), ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) के सृजन तथा विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन तथा आपूर्ति के प्रावधानों की 90% पूंजीगत सब्सिडी के साथ वित्तपोषण किया जा सकता है। आरईडीबी, वीईआई तथा डीडीजी कृषि तथा अन्य कार्य-कलापों की आवश्यकता की भी पूर्ति करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत, गैर-विद्युतीकृत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार निःशुल्क विद्युत के कनैक्शन प्राप्त करेंगे। सरकार ने छोटे वासस्थलों के कवरेज को बढ़ाने के लिए 300 के बजाए 100 तक की जनसंख्या वाले वासस्थलों के विद्युतीकरण को मंजूरी प्रदान की है। आरजीजीवीवाई ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा घरेलू विद्युतीकरण के सृजन की फ्लैगशिप स्कीम है।

10. **मूल्यांकन अध्ययनों तथा परामर्श के लिए निधियां:** यह प्रावधान विभिन्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन करवाने के लिए है।

11. **विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक मंडल अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत, एपटेल उस अधिनियम के उद्देश्य से अपीलीय अधिकरण है।

12. **गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी):** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया गया है। संयुक्त आयोग के व्यय का केंद्र सरकार तथा गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

13. **कंप्रिहेंसिव अवार्ड स्कीम:** विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रचालन, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए विद्युत उत्पादन केंद्रों, पारेषण और वितरण यूटिलिटियों तथा ग्रामीण वितरण के फ्रेंचाइजियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा शील्ड और प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

14. **ऊर्जा संरक्षण:** निधि का प्रयोग ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों यथा- राष्ट्र स्तरीय जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड तथा बच्चों के लिए राष्ट्र स्तरीय चित्रकारी प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इन मिशनों में से एक मिशन नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड इनर्जी एफिसियंसी है। इसे विद्युत मंत्रालय तथा ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) द्वारा चलाया जा रहा है।

15. **ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई):** बीईई को इसकी विभिन्न योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा। समग्र विद्युत खपत को कम करने, भूजल दोहन की दक्षता में सुधार लाने, राज्यों के सब्सिडी बोझ को तथा नगर-पालिकाओं द्वारा किए गए ऊर्जा व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेकों मांग पक्ष संबंधी उपाय (डीएसएम) प्रारंभ किए गए हैं। सरकार ने बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) अनुमोदित की है जो ऊर्जा कुशलता को तथा घरों में तापदीप्त बल्बों को बदलकर उच्च गुणवत्ता के कॉम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) लगाने को बढ़ावा देती है। उपकरणों/उपस्करों के लिए मानक तथा लेबलिंग किए जाने तथा लेबलिंग को अनिवार्य किए जाने के द्वारा अंतिम छोर की खपत को घटाने को बढ़ावा देने के लिए मानक तथा लेबलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने, लक्षित उत्पादन क्षमता को बचाने की कुशलता के लिए ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी), लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमईएस) में राज्य निर्दिष्ट एजेंसियों (एसडीए) ऊर्जा दक्षता का सुदृढ़ीकरण, राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि तथा सुपर इनर्जी एफीसियंट एप्लीऐंसेज प्रोग्राम(सीप) जैसी स्कीमें भी चालू की गई हैं।

16. **त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य यूटिलिटियों को एटी एंड सी हानियों के स्तर को कम करके 15% तक ले जाने में सहायता करना है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य घटक हैं। भाग-क में ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा प्रणाली आधारित सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना की परियोजनाएं शामिल हैं जिनसे परियोजना क्षेत्रों में एटी एंड सी हानि स्तरों के सत्यापनीय बेस लाइन को अंतिम रूप दिया जाता है। भाग-ख में वितरण सुदृढ़ीकरण निवेशों की योजना है जिनसे हानि के स्तर में कमी लाई जाएगी।

17. **क्षमता निर्माण के लिए विनियामक मंच को सहायता::** क्षमता निर्माण और परामर्शी का लाभ प्राप्त करने के लिए विनियामकों के मंच के लिए निधियां मुहैया कराये जाने का प्रावधान है।

18. **लोहारीनाग पाला जलविद्युत परियोजना:** सीसीईए तथा दावा निपटान समिति की सिफारिशों के अनुसार, एनटीपीसी की परियोजना के बंद होने के कारण उसके निर्माण के मुआवजे की प्रतिपूर्ति के लिए भरपाई करने का प्रावधान रखा गया है।

19. **डिस्कॉम की ऋण पुनर्संरचना को वित्तीय सहायता:** राज्य डिस्कॉमों के टर्नअराउंड को समर्थ बनाने तथा उनकी दीर्घकालीन संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा स्कीम तैयार तथा अनुमोदित की गई है। स्कीम में, ट्रांजिशनल वित तंत्र के माध्यम से केंद्र सरकार की सहायता से, राज्य डिस्कॉमों तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय टर्न अराउंड को हासिल करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

21. **राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम):** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है। पात्रता की पूर्वशर्त राज्यों द्वारा किए गए कुछ सुधार उपायों से संबद्ध है तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों से संबद्ध है। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि0 एन.ई.एफ. की नोडल एजेंसी होगी। स्कीम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप ए टी एण्ड सी हानियों में कमी होगी, आपूर्ति की औसत लागत तथा औसत राजस्व के बीच, सब्सिडी प्राप्त आधार पर अंतर में कमी आयेगी, इक्विटी पर आय में सुधार होगा तथा वितरण क्षेत्र में निवेश के साथ बहुवर्षीय प्रशुल्क की अधिसूचना जारी होगी। यह स्कीम राज्य क्षेत्र वितरण स्कीम को पुनः तैयार करने तथा इसकी पुनःसंरचना को उत्प्रेरित करेगी तथा केंद्रीय सरकार की मध्यस्थता को सुविधाजनक बनाएगी। सीसीईए ने एनईएफ स्कीम को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

25. **श्रीनगर से बरास्ता कारगिल लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन::** ईएफसी द्वारा स्कीम को 18.12.2012 को अनुमोदित कर दिया गया है तथा सीसीईए का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।

26.03. **अरूणाचल प्रदेश तथा सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** नई स्कीम अभी ईएफसी/सीसीईए द्वारा अनुमोदित की जानी है।

27.01. **एनटीपीसी लिमिटेड:** ताप विद्युत के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र उत्पादक कंपनी के रूप में 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। निगम का तेजी से विकास हुआ तथा यह भारत की विशालतम ताप विद्युत उत्पादक कंपनी बन गई। कंपनी में जल विद्युत क्षेत्र, विद्युत व्यवसाय, कोयला खनन इत्यादि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। अपने विविध कार्यों को मूर्तरूप देने के लिए कंपनी का एनटीपीसी लिमिटेड के रूप में पुनःनामित किया गया है। 31 दिसंबर, 2012 को एनटीपीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रूपए थी तथा प्रदत्त पूंजी 8,245.50 करोड़ रूपए थी। 31 दिसंबर, 2012 को एनटीपीसी तथा इसके संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों की संस्थापित क्षमता 39674 मेगावाट थी।

27.02. **एनएचपीसी लिमिटेड:** एनएचपीसी लि0. 1975 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित की गई थी। एनएचपीसी भारत सरकार का मिनिरत्न श्रेणी-क का उद्यम है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 15,000 करोड़ रूपए है तथा 31 मार्च 2012 को प्रदत्त पूंजी 12300.74 करोड़ रूपए है। 31.12.2012 को एनएचडीसी (मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी) सहित एनएचपीसी की कुल संस्थापित क्षमता 16 परियोजनाओं के माध्यम से 5570 मेगावाट है।

27.03. **दामोदर घाटी निगम (डीवीसी):** दामोदर घाटी में सिंचाई, जलापूर्ति, निकास, उत्पादन, पारेषण तथा जलविद्युत को बढ़ावा देने तथा प्रचालन के लिए 1948 में डीवीसी की स्थापना की गई थी। 31.12.2012 को डीवीसी की कुल संस्थापित क्षमता 6907.20 मेगावाट थी।

27.04. **नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको):** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत अनुसूची 'क' की कंपनी नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) की स्थापना 2 अप्रैल, 1976 को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के नियोजित विकास तथा उन्हें चालू करने के द्वारा विद्युत संभाव्यताओं के विकास के उद्देश्य के साथ की गई थी

जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रूपए है। वर्तमान संस्थापित क्षमता 1130 मेगावाट है जिसमें 755 मेगावाट जलविद्युत तथा 375 मेगावाट गैस आधारित विद्युत शामिल है।

27.05. **एसजेवीएन लिमिटेडः (पूर्व में नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड-एनजेपीसी):** जल विद्युत परियोजनाओं का नियोजन, अन्वेषण, आयोजन, निष्पादन, प्रचालन तथा अनुरक्षण करने के लिए 24 मई, 1988 को एसजेवीएन लिमिटेड (पूर्व में नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन) की स्थापना भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी जिनकी इक्विटी सहभागिता क्रमशः 75 तथा 25 के अनुपात में थी। भारत सरकार ने मई, 2010 में एसजेवीएन के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से सार्वजनिक तथा वित्तीय संस्थानों को इसके 10.03% शेयर प्रस्तुत किए थे। एसजेवीएन 'अनुसूची-क' की एक मिनिरत्न कंपनी है। एसजेवीएन की वर्तमान प्राधिकृत शेयर पूंजी 7000 करोड़ रूपए है।

27.06. **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड:** 2400 मेगावाट के टेहरी जल विद्युत कांपलेक्स तथा अन्य परियोजनाओं के विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए मिनिरत्न-श्रेणी-1 तथा आईएसओ 9001-2008 प्रमाणित पीएसयू कंपनी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जुलाई, 1988 में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित हुई थी। टेहरी जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) सहित टेहरी जल विद्युत कांपलेक्स (2400 मेगावाट) 2007 से प्रचालनाधीन है तथा कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) अप्रैल, 2012 से प्रचालनाधीन है।

27.07. **पीजीसीआईएल:** पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम,1956 के अंतर्गत 23 अक्टूबर, 1989 को भारत सरकार के उपक्रम के रूप में निगमित हुई थी जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रूपए थी जो 2007-08 में बढ़कर 10,000 करोड़ रूपए हो गई है तथा 31 मार्च, 2012 को प्रदत्त पूंजी 4,629.73 करोड़ रूपए थी। 31.12.2012 को पावरग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 28,000 मेगावाट थी।